राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांकः एफ 11 (3) ( )/ मो./मबावि/ 2008 114854-886 जयपुर दिनांक 21-6-18

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषयः– आंगनबाडी केन्द्रों के भवन किराये की संशोधित दरों के संबंध में ।
प्रसंगः– महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का पत्र दिनांक 24.04.2018
प्रसंगः– शासन उप सचिव का पत्र क्रमांक प. 6 (7) मबावि / 2018/ दिनांक 15.06.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि शासन उप सचिव, मबावि ने स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आईडी सं 131800171 दिनांक 24.05.2018 के द्वारा पत्रावली पर प्राप्त सहमति के आधार पर समेकित बाल विकास सेवाएं अंतर्गत राज्य में किराये के भवनों में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों/मिनी आंगनबाडी केन्द्रों को बाल सुलभ सुविधायुक्त भवनों में केन्द्र संचालन के उद्देश्य से आंगनबाडी केन्द्रों के भवन किराये की दरो में निम्नानुसार सशर्त वृद्धि की गई है :–

क्र. सं.	आंगनबाडी केन्द्रों का विवरण	वर्तमान भवन किराये की दर	संशोधित भवन किराये की दर
1	ग्रामीण/जनजातीय परियोजनाओं के आंगनबाडी/मिनी आंगनबाडी	750/– रु प्रतिमाह प्रति केन्द्र	1000/–रु प्रतिमाह प्रति केन्द्र
2	शहरी परियोजनाओं के आंगनबाडी /मिनी आंगनबाडी	3000/– रु प्रतिमाह प्रति केन्द्र	4000/–रु प्रतिमाह प्रति केन्द्र

अतः शासन उप सचिव, मबावि के पत्र दिनांक 15.06.2018 की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि तदानुसार कार्यवाही करें। भवन किराये दरों में वृद्धि बाल सुलभ एवं आवश्यक सुविधा वाले भवनों में आंगनबाडी केन्द्र संचालित किये जाने के उद्देश्य से की गई है। संशोधित दरें दिनांक 01 जून 2018 से लागू होगी तथा किराये के भवन से संबंधित अन्य शर्ते पूर्ववत् रहेगी।

निदेशक
समेकितं बाल विकास, सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः एफ 11 (3) ( )/ मो./मबावि/ 2008 114887-1338 जयपुर दिनांक 21-6-18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सयुंक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मबावि जयपुर।
4. महालेखाकार, महालेखाकार कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
5. शासन उपसचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग/शासन उपसचिव, (ग्रुप–4), आयोजना विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
8. समस्त जिला कलेक्टर/समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/कोषाधिकारी
9. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
10. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाए।

अति. निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास, सेवाएँ
राजस्थान जयपुर।

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांकः प. 6 (7) मबावि / 2018 जयपुर, दिनांक 15/06/18

निदेशक,
समेकित बाल विकास सेवाएँ,
राज0 जयपुर

विषयः– आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन किराये की संशोधित दरों के संबंध में

महोदया,

समेकित बाल विकास सेवाएँ योजना के सुदृढीकरण के अंतर्गत राज्य में किराये के भवनों में आंगनबाड़ी / मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन के उद्देश्य से भारत सरकार के पत्र क्रमांक CD-II-14/1/2018-CD-II दिनांक 24.04.2018 के साथ संलग्न Empowered Programme Committee की बैठक के कार्यवाही विवरण के Part-I के बिन्दु संख्या–7 के क्रम में आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के किराये में दिनांक 01.06.2018 से निम्नानुसार संशोधन किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

क्र. सं.	आंगनबाडी केन्द्र का विवरण	वर्तमान भवन किराये की दर	संशोधित भवन किराये की दर
1.	ग्रामीण / जनजाति परियोजना के आंगनबाड़ी / मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र	750 / –रूपये प्रतिमाह प्रति केन्द्र	1000 / –रूपये प्रतिमाह प्रति केन्द्र
2.	शहरी परियोजना के आंगनबाड़ी / मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र	3000 / –रूपये प्रति माह प्रति केन्द्र	4000 / –रूपये प्रतिमाह प्रति केन्द्र

किराये के भवन से संबंधित अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 131800171 दिनांक 24.05.2018 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

(एन.एल.जेवरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
4. विशिष्ट सहायक, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
6. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. शासन उप सचिव, आयोजना (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।